संख्या-01/2019/पी-677/अड़तीस-9-2018-09(बजट)/2017

प्रेषक,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक-02 जनवरी, 2019**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रोग्राम फण्ड मद में केन्द्रांश के सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0 1,63,08,33,333.00 (रूपये एक अरब तिरसठ करोड़ आठ लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3864/20/एफ-32/यूपीआरआरडीए/2013 दिनांक-05.12.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0-पी-12036/2015-आरसी (एफएमएस नं0-341739) दिनांक-15.11.2018 की प्रति उपलब्ध कराते हुए शासनादेश सं0-27/2018/पी-644/अड़तीस-9-2018-09(बजट)/2017 दिनांक-22.11.2018 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रोग्राम फण्ड मद में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2,44,62,50,000.00 के सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0 1,63,08,33,333.00 (रूपये एक अरब तिरसठ करोड़ आठ लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस मात्र) को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रोग्राम फण्ड में भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 24462.50 लाख (रूपये दो अरब चौवालीस करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0 1,63,08,33,333.00 (रूपये एक अरब तिरसठ करोड़ आठ लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस मात्र) को आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें व्याज अर्जित होता है, तो अर्जित व्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व यूपीआरआरडीए का होगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देशों/अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

(5)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्षक में समर्पित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 व शासनादेश संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक-24.04.2018 द्वारा शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- व्यय धनराशि के उपभोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-02-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पी0एम0जी0एस0वाई0)-0201-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-(के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2 की अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-1243/दस-2018, दिनांक-29 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-01/2019/पी-677(1)/अड़तीस-9-2018, तददिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबा**द।**
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- डा0 सुरभि राय, उप सचिव (आर0सी0), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कक्ष सं0-369, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
10- निदेशक, बजट/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11- गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in